राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आषाढ़ 30, मंगलवार, शाके 1937–जुलाई 21, 2015

Asadha 30, Tuesday, Saka 1937–July 21, 2015

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 21, 2015

संख्या प. 4 (9) विधि/2/2015.– राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2015 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015

(2015 का अध्यादेश संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2015 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 21 में,-

(i) खण्ड (घ) के अन्त में आये वियमान शब्द "और" को हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (ङ) के अंत में आये वियमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़ं जायेंगे, अर्थात्:-

"(च) उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक वियालय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो; और

(छ) उस परिसर, जिसमें वह निवास करता है, में कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"।

कल्याण सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 21, 2015

No. F. 4 (9) Vidhi/2/2015.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015 (2015 ka Adhyadesh Sankhyank 7) promulgated by him on the 21st day of July, 2015:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

(Ordinance No. 7 of 2015)

[Made and promulgated by the Governor on the 21st day of July, 2015]

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009),-

(i) in clause (d), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (e), for the existing punctuation mark " . " appearing at the end, the punctuation mark " ; " shall be substituted;

(iii) after the clause (e), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(f) he has passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board; and

(g) he has functional sanitary toilet in the premises where he resides and no member of his family defecates in the open.

Explanation.- For the purpose of the clause (g) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "member of family" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

कल्याण सिंह,
Governor of Rajasthan.

दीपक माहेश्वरी,
Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press, Jaipur.